The Genius Sr. Sec. School, Rania

Affiliation No. - 530763

School Code - 40729

SCHOOL RULES & REGULATIONS

(Framed under CBSE Affiliation Bye-Laws and Haryana School Education Rules, 2003)

1. Admission, Continuation & Authority

Admission is provisional and subject to compliance with all school rules.

Continuation of admission is not automatic and depends upon:

- Payment of fees
- Attendance
- Discipline of student
- Conduct and cooperation of parents etc.

The School Management has all the right to stop the continuation of admission of a child to the next session because of above reasons.

The school management reserves the right to amend rules at any time in the interest of discipline, safety, and smooth functioning.

Parents are deemed to have accepted all rules once admission is taken.

2. Fee Payment, Arrears & Financial Discipline

Fees must be paid strictly as per schedule.

Fee once paid is non-refundable and non-adjustable.

Non-payment of fees will result in:

- Written reminders
- Debarment from examinations/activities (**where permitted**)
- If fees remain unpaid despite notices, the school may strike off the student's name during or after the academic session.

Students with pending dues shall not be carried forward to the next academic session.

Fee-related disputes do not suspend the obligation to pay fees.

3. Attendance & Punctuality

- Minimum 75% attendance is mandatory.
- Continuous absence for 10 days without written application may lead to removal from rolls.
- Habitual latecomers may be barred from classes.
- Medical leave beyond 3 days must be supported by certificate.

4. Discipline, Conduct & Code of Behaviour (Student)

- Students must maintain discipline inside and outside the campus.
- Acts such as bullying, violence, vandalism, cheating, abuse, or harassment will invite strict action.
- Mobile phones, gadgets, and prohibited items are not allowed and if students bring it in school they have pay fine for it.
- Repeated indiscipline may result in suspension or removal from school.
- The Principal's decision in disciplinary matters shall be final.

Scanned with OKEN Scanner

5. Parent Conduct & Responsibility

Parents must maintain respectful and cooperative behaviour.
Misconduct includes:

- Abusive language
- Threats
- Defamation
- Repeated false complaints
- Creating disturbance in school

Parents must not:

- Enter classrooms without permission.
- Take picture or video in school premised without permission.
- Interfere in school administration.
- Misbehave with school management, teachers etc. which can lead to withdrawal of student's admission.

6. Legal Misuse & False Complaints

- Repeated false complaints to authorities after closure of inquiry shall be treated as harassment.
- Defaming the school on social media, press or print media is a punishable offence.
- The school reserves the right to take legal action for defamation and harassment.
- In such cases, the student's admission may be cancelled in the interest of the institution.

7. Withdrawal of Student (Parent Initiated)

- All dues must be cleared before TC issuance.
- T.C will be provide only on written request and parents must visit school physically to give written
- request for T.C.
- Withdrawal during session does not entitle refund.

8. Removal / Striking Off from Rolls (School Initiated)

The school may strike off the name of a student in case of:

- Fee arrears despite notices
- Indiscipline
- Irregular attendance
- Parent misconduct
- Non-cooperation
- Violation of rules
- Defamation of school
- Legal harassment
- Safety concerns
- Misuse of digital platforms
- Bringing disrepute to institution

Such action may be taken during the academic session or after completion of session, after due notice.

Scanned with OKEN Scanner

9. Safety, Security & Compliance

- School CCTV and security measures must be respected.
- School is not going to provide any CCTV footage to parents.
- Unauthorized recording is prohibited.
- Parents and students must follow safety instructions.
- Violation of safety norms may result in immediate action.

10. Digital & Social Media Policy

- Posting school-related content without permission is prohibited.
- Any misuse of school name/logo/identity will invite legal action.
- WhatsApp groups are for official communication only.
- Abusive or misleading messages may lead to removal of student.

11. Transport Rules

- Transport facility is optional and governed by separate rules.
- Misbehavior in bus may lead to withdrawal of transport facility.
- School is not responsible for private transport arrangements.

12. Examination Rules

- Students must follow CBSE and school exam guidelines.
- Cheating or unfair means will lead to strict action.
- School's disciplinary committee decision is final.

13. Jurisdiction & Legal Authority

These rules are framed under:

- CBSE Affiliation Bye-Laws
- Haryana School Education Rules, 2003

All disputes are subject to local jurisdiction only.
The Principal/Management decision shall be final in administrative matters.

Scanned with OKEN Scanner

द जीनियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रानिया
एफिलिएशन नंबर – 530763
स्कूल कोड – 40729
विद्यालय के नियम व विनियम

(सीबीएसई एफिलिएशन बाय-लॉज़ एवं हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के अंतर्गत निर्मित)

1. प्रवेश, निरंतरता एवं प्रबंधन का अधिकार

प्रवेश अस्थायी है और सभी विद्यालय नियमों के पालन पर निर्भर करता है।

प्रवेश की निरंतरता स्वतः नहीं होगी, यह निम्न बातों पर निर्भर करेगी:

* शुल्क का भुगतान
* उपस्थिति
* छात्र का अनुशासन
* अभिभावकों का व्यवहार एवं सहयोग आदि

उपरोक्त कारणों के आधार पर विद्यालय प्रबंधन को अगले सत्र में छात्र का प्रवेश जारी रखने या न रखने का पूरा अधिकार होगा।

विद्यालय प्रबंधन को अनुशासन, सुरक्षा एवं सुचारू संचालन के हित में नियमों में कभी भी संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रवेश लेने के साथ ही अभिभावक सभी नियमों को स्वीकार किया हुआ माना जाएगा।

2. शुल्क भुगतान, बकाया एवं वित्तीय अनुशासन

* शुल्क निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
* एक बार जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा और न ही समायोजित किया जाएगा।
* शुल्क न जमा करने पर:
  – लिखित सूचना दी जाएगी
  – परीक्षाओं/गतिविधियों से वंचित किया जा सकता है (जहां अनुमति हो)
  – नोटिस के बाद भी शुल्क जमा न होने पर छात्र का नाम सत्र के दौरान या बाद में काटा जा सकता है।
* जिन छात्रों का शुल्क बकाया होगा, उन्हें अगले सत्र में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा।
* शुल्क संबंधी विवाद के कारण शुल्क जमा करने की बाध्यता समाप्त नहीं होती।

3. उपस्थिति एवं समयपालन

* न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
* बिना लिखित आवेदन के लगातार 10 दिन अनुपस्थित रहने पर नाम काटा जा सकता है।
* बार-बार देर से आने वाले छात्रों को कक्षा में प्रवेश से रोका जा सकता है।
* 3 दिन से अधिक चिकित्सा अवकाश पर चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।

4. अनुशासन, आचरण एवं व्यवहार संहिता (छात्र)

* छात्र को विद्यालय परिसर के अंदर एवं बाहर अनुशासन बनाए रखना होगा।
* बदमाशी, हिंसा, तोड़-फोड़, नकल, गाली-गलौज, उत्पीड़न जैसे कृत्यों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
* मोबाइल फोन, गैजेट्स एवं प्रतिबंधित वस्तुएं लाना वर्जित है। लाने पर जुर्माना देना होगा।
* बार-बार अनुशासनहीनता पर निलंबन या विद्यालय से निष्कासन हो सकता है।
* अनुशासन से जुड़े मामलों में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

Scanned with OKEN Scanner

5. अभिभावकों का आचरण एवं जिम्मेदारी

अभिभावकों से सम्मानजनक एवं सहयोगात्मक व्यवहार अपेक्षित है।

दुराचार में शामिल हैं:

* अभद्र भाषा
* धमकी
* बदनामी करना
* बार-बार झूठी शिकायतें
* विद्यालय में अव्यवस्था फैलाना

अभिभावक निम्न कार्य नहीं करेंगे:

* बिना अनुमति कक्षा में प्रवेश करना
* बिना अनुमति विद्यालय परिसर में फोटो/वीडियो बनाना
* विद्यालय प्रशासन में हस्तक्षेप करना
* प्रबंधन या शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करना (जिससे छात्र का प्रवेश रद्द हो सकता है)

6. कानूनी दुरुपयोग एवं झूठी शिकायतें

* जांच समाप्त होने के बाद बार-बार झूठी शिकायतें करना उत्पीड़न माना जाएगा।
* सोशल मीडिया, प्रेस या प्रिंट मीडिया में विद्यालय की बदनामी दंडनीय अपराध है।
* विद्यालय को मानहानि एवं उत्पीड़न के मामलों में कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित है।
* ऐसे मामलों में संस्था के हित में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है।

7. छात्र का नाम वापसी (अभिभावक द्वारा)

* टी.सी. जारी करने से पहले सभी बकाया शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
* टी.सी. केवल लिखित आवेदन पर दी जाएगी एवं अभिभावक को स्वयं विद्यालय आकर आवेदन देना होगा।
* सत्र के बीच में नाम वापस लेने पर शुल्क की कोई वापसी नहीं होगी।

8. नाम काटना / विद्यालय द्वारा निष्कासन

निम्न कारणों से छात्र का नाम काटा जा सकता है:

* शुल्क बकाया
* अनुशासनहीनता
* अनियमित उपस्थिति
* अभिभावकों का दुर्व्यवहार
* असहयोग
* नियमों का उल्लंघन
* विद्यालय की बदनामी
* कानूनी उत्पीड़न
* सुरक्षा संबंधी कारण
* डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग
* संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाना

यह कार्रवाई सत्र के दौरान या सत्र पूर्ण होने के बाद उचित सूचना देकर की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

9. **सुरक्षा, संरक्षा एवं अनुपालन**

* विद्यालय के सीसीटीवी एवं सुरक्षा व्यवस्था का सम्मान किया ज़ाना चाहिए।
* विद्यालय अभिभावकों को सीसीटीवी फुटेज प्रदान नहीं करेगा।
* बिना अनुमति रिकॉर्डिंग वर्जित है।
* सभी को सुरक्षा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
* सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

10. **डिजिटल एवं सोशल मीडिया नीति**

* बिना अनुमति विद्यालय से संबंधित सामग्री पोस्ट करना निषिद्ध है।
* विद्यालय के नाम/लोगो/पहचान का दुरुपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
* व्हाट्सएप ग्रुप केवल आधिकारिक सूचना हेतु हैं।
* अभद्र या भ्रामक संदेश भेजने पर छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है।

11. **परिवहन नियम**

* परिवहन सुविधा वैकल्पिक है और अलग नियमों के अंतर्गत संचालित होती है।
* बस में दुर्व्यवहार करने पर परिवहन सुविधा वापस ली जा सकती है।
* निजी परिवहन की जिम्मेदारी विद्यालय की नहीं होगी।

12. **परीक्षा नियम**

* छात्रों को सीबीएसई एवं विद्यालय के परीक्षा नियमों का पालन करना होगा।
* नकल या अनुचित साधनों के प्रयोग पर कठोर कार्रवाई होगी।
* विद्यालय की अनुशासन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

13. **क्षेत्राधिकार एवं कानूनी अधिकार**

ये नियम निम्न के अंतर्गत बनाए गए हैं:

* सीबीएसई एफिलिएशन बाय-लॉज़
* हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003

सभी विवाद स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होंगे।

प्रशासनिक मामलों में प्रधानाचार्य/प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा।

Scanned with OKEN Scanner